यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लक्सर, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी ऋटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लक्सर, हरिद्वार के माह 04/2012 से 06/2017 तक के लेखा– अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0के0 गुप्ता, श्री प्रितान्शु कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं मो0 सलीम खान, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 02.08.2017 से 05.08.2017 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई को 04/2012 में आहरण एवं संवितरण का दायित्व सौंपा गया, जिसके कारण इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

   इकाई द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत स्थापित चिकित्सा उप–केन्द्रों के माध्यम से चिकित्सा, स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार कल्याण एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं का सम्पादन, अनुश्रवण एवं निरीक्षण किया जाता है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण विकास खण्ड है, जिसमें आने वाले समस्त रोगियों का ईलाज किया जाता है।

   (ii) (अ) विगत पॉच वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2012–13	–	–	175.25	160.55	141.13	125.87	–	14.70	–	15.26
2013–14	–	–	186.60	179.06	160.07	143.55	–	7.54	–	16.52
2014–15	–	–	228.12	212.14	185.40	167.88	–	30.90	–	17.52
2015–16	–	–	227.33	197.22	210.07	168.51	–	30.11	–	41.56
2016–17	–	–	210.72	185.22	208.59	180.86	–	25.50	–	27.73
2017–18 (06/2017)	–	–	70.96	56.85	82.06	55.01	–	14.11	–	27.05

नोटः प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष धनराशि समर्पण की गई।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2012–13	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	5.70	65.93	63.52	–	8.11
2013–14		8.11	117.40	106.23	–	19.28
2014–15		19.28	131.73	142.75	–	8.26
2015–16		8.26	155.65	148.71	–	15.20
2016–17		15.20	144.03	141.62	–	17.61
2017–18 (06/2017)		17.61	28.52	8.87	–	37.26

(iii) इकाई को बजट आबंटन केन्द्रांश एवं राज्यांश के रुप में राज्य स्तर से तथा एन0एच0एम0 का आबंटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से प्राप्त होता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ''सी'' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

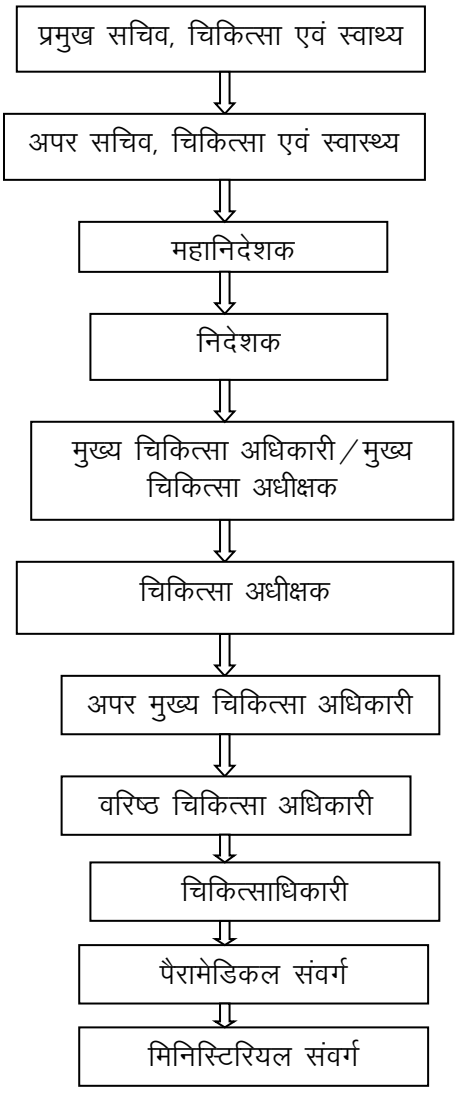

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लक्सर, हरिद्वार** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लक्सर, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2013, मार्च 2014 एवं मार्च 2015 को अधिकतम व्यय के आधार पर विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1 जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत रु0 80.70 लाख का अनियमित व्यय।

राष्ट्रीय कार्यक्रम **जननी सुरक्षा योजना** अप्रैल 2005 में प्रारम्भ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना था ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु की दर को कम किया जा सके। जननी सुरक्षा योजना की निर्देशिका के अनुसार सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव कराने पर महिला को प्रोत्साहन राशि के रुप में ग्रामीण क्षेत्र में रु0 1,400 एवं शहरी क्षेत्र में रु0 1,000 का भुगतान चैक के माध्यम से किया जाना चाहिए। योजना के अधीन प्रोत्साहन निधि के वितरण हेतु निर्धारित शर्तों के अनुसार (i) प्रसव की सम्भावित तिथि से 16 से 20 सप्ताह पूर्व प्रत्येक महिला लाभार्थी हेतु जे0एस0वाई0 कार्ड भरा जाना चाहिए एवं सभी वांछित दस्तावेजों सहित उसे प्रसव की सम्भावित तिथि से 2 सप्ताह पूर्व सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्र के अधिकृत चिकित्सा अधिकारी के पास सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि लाभार्थी को डिस्चार्ज करते समय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा सके, (ii) लाभार्थी को प्रसव के पश्चात् कम से कम 48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्र में रुकना आवश्यक है, (iii) लाभार्थी को चिकित्सालय से डिस्चार्ज करते समय अनिवार्य रुप से देय राशि का भुगतान किया जाना चाहिए एवं (iv) प्रसव से सात दिन पूर्व या सात दिन पश्चात् किया गया कोई भी भुगतान अवैध माना जायेगा।

कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लक्सर, हरिद्वार के जननी सुरक्षा योजना से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक 5,863 संस्थागत प्रसव हुए, जिनको ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धारित रु0 1,400 की दर से 5,541 लाभार्थियों को रु0 77.57 लाख तथा शहरी क्षेत्र हेतु निर्धारित रु0 1,000 की दर से 322 लाभार्थियों को रु0 3.22 लाख का भुगतान किया गया। इसप्रकार, कुल 5,726 लाभार्थियों को रु0 80.79 लाख का भुगतान योजना के अन्तर्गत किया गया। अभिलेखों में पाया गया समस्त प्रसव वाले प्रकरणों में जे0एस0वाई0 कार्ड प्रसव के पश्चात् स्वास्थ्य केन्द्र में ही भरे गये हैं, जबकि दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रसव की सम्भावित तिथि से 16 से 20 सप्ताह पूर्व प्रत्येक महिला लाभार्थी हेतु जे0एस0वाई0 कार्ड भरा जाना चाहिए एवं सभी वांछित दस्तावेजों सहित उसे प्रसव की सम्भावित तिथि से 2 सप्ताह पूर्व सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्र के अधिकृत चिकित्सा अधिकारी के पास सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि लाभार्थी को डिस्चार्ज करते समय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा सके। इसके अतिरिक्त संस्थागत प्रसव के पश्चात् महिलाओं को 48 घण्टे से पूर्व ही डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि नियमानुसार प्रत्येक लाभार्थी को प्रसव के पश्चात् कम से कम 48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्र में रुकना आवश्यक है। योजना के अन्तर्गत किए गये भुगतान का विवरण निम्नवत् है:–

वर्ष	कुल संस्थागत प्रसवों की संख्या	ग्रामीण लाभार्थियों की संख्या	प्रदत्त राशि @ 1,400	शहरी लाभार्थियों की संख्या	प्रदत्त राशि @ 1,000
2012–13	1096	1050	1470000	46	46000
2013–14	1517	1425	1995000	92	92000
2014–15	1383	1305	1827000	78	78000
2015–16	839	793	1110200	46	46000
2016–17	1028	968	1355200	60	60000
योगः–	**5863**	**5541**	**7757400**	**322**	**322000**

इसप्रकार, योजना के दिशा–निर्देशों का अनुपालन न किए जाने पर 5,863 लाभार्थियों को किया गया रु0 80.79 लाख का भुगतान अनियमित था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर चिकित्सा अधीक्षक ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि ए0एन0एम0 द्वारा टीकाकरण, परिवार कल्याण इत्यादि में ब्यस्थता के कारण जे0एस0वाई0 कार्ड पूर्व में नहीं भरे गये। भविष्य में दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना के अधीन निर्धारित शर्तों के अनुपालन पर ही लाभार्थी को भुगतान किया जाना चाहिए था, जबकि स्वास्थ्य केन्द्र में इन दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अनियमित रुप से लाभार्थियों को भुगतान किया जा रहा था।

अतः जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत रु0 80.79 लाख का अनियमित व्यय का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2 चिकित्सा प्रबन्धन समिति के खाते में रु0 89,085 कम जमा किया जाना।

उत्तराखण्ड के जिला चिकित्सालयों, संयुक्त चिकित्सालयों एवं बेस चिकित्सालयों आदि के प्रबन्धन में लोच एवं गतिशीलता तथा चिकित्सकीय सेवाओं की गुणवत्ता एवं दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा शासनादेश संख्या 236/वि0–2–2003 दिनांक 24 मार्च 2003 के माध्यम से दिशा–निर्देश निर्गत किए। निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य के उक्त चिकित्सा संस्थाओं के प्रबन्धन हेतु प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चिकित्सा प्रबंधन समिति का गठन किया जाना था, साथ ही चिकित्सालयों को यूजर चार्जेज के रूप में मिलने वाली धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि राजकोष में तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि चिकित्सालय संचालनार्थ चिकित्सा प्रबंधन समिति के खाते में जमा की जानी थी।

कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लक्सर के यूजर चार्जेज से सम्बन्धित लेखा– अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि चिकित्सालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2017–18 (जुलाई 2017) तक वर्षवार प्राप्त हुए यूजर चार्जेज की धनराशि नियमानुसार राजकोष एवं चिकित्सा प्रबन्धन समिति के खाते में जमा ही नहीं की गई, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

वर्ष	कुल प्राप्त यूजर चार्जेज	समिति के खाते में जमा की जाने वाली धनराशि (प्राप्त यूजर चार्जेज का 50%)	समिति के खाते में जमा की गई धनरशि	राजकोष में जमा की जाने वाली धनराशि (प्राप्त यूजर चार्जेज का 50%)	राजकोष में जमा धनराशि	समिति के खाते में कम जमा की गई धनरशि
2012–13	440250.00	220125.00	205967.00	220125.00	234283.00	(-) 14158.00
2013–14	578879.00	289439.50	270449.00	289439.50	308430.00	(-) 18990.50
2014–15	722584.00	361292.00	340788.00	361292.00	381796.00	(-) 20504.00
2015–16	798036.00	399018.00	380090.00	399018.00	417946.00	(-) 18928.00
2016–17	557571.00	278785.50	264407.00	278785.50	293164.00	(-) 14378.50
2017–18	237707.00	118853.50	116727.00	118853.50	120980.00	(-) 2126.50
योगः–	**3335027.00**	**1667513.50**	**1578428.00**	**1667362.00**	**1756599.00**	**(-) 89085.50**

इस प्रकार, चिकित्सालय को यूजर चार्जेज के रुप में वर्ष 2012–13 से 2017–18 (जुलाई 2017) तक प्राप्त धनराशि रु0 33,35,027.00 में से नियमानुसार रु0 16,67,513.50 चिकित्सा प्रबन्धन समिति के खाते में जमा किया जाना था परन्तु चिकित्सालय द्वारा इसके विपरीत मात्र रु0 15,78,428.00 ही चिकित्सा प्रबन्धन समिति के खाते में जमा किया। इसप्रकार, यूजर चार्जेज के रुप में रु0 89,085.50 की धनराशि चिकित्सा प्रबन्धन समिति के खाते में जमा ही नहीं किया गया, जो कि उक्त शासनादेश का सीधा उल्लंघन था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर चिकित्सा अधीक्षक ने अपने उत्तर में बताया कि भविष्य में शासनादेश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि निर्धारित धनराशि चिकित्सा प्रबन्धन समिति के खाते में जमा की जाती तो उसका सीधा लाभ स्वास्थ्य केन्द्र को प्राप्त होता।

अतः चिकित्सा प्रबन्धन समिति के खाते में रू. 89,085 कम जमा किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–3 ब्याज की धनराशि रु0 2.61 लाख को राजकोष में जमा न किया जाना।

शासनादेश संख्या 99/XXVII (14)/2009 दिनॉक 03 सितम्बर 2009 के अनुसार समेकित निधि से आहरित धनराशि पर अर्जित ब्याज की राशि को राजकोष में लेखाशीर्ष 0049 ब्याज प्राप्तियों के अन्तर्गत जमा किया जाना चाहिए।

कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लक्सर, हरिद्वार के लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि एन0एच0एम0 एवं कार्यालय स्थापना के अन्तर्गत मार्च 2017 तक रु0 2.61 लाख की धनराशि ब्याज के रुप में पडी हुई थी, जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत् हैः–

वर्ष	राशि
2013–14	28925
2014–15	64902
2015–16	74867
2016–17	91934
योगः–	2,60,628

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर चिकित्सा अधीक्षक ने अपने उत्तर में बताया कि उच्चाधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर ब्याज की राशि जमा की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासनादेश के अनुसार ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा की जानी चाहिए थी।

अतः ब्याज की धनराशि रु0 2.61 लाख को राजकोष में जमा न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–4 अनटाइड निधि में रु0 35,300 का अनियमित व्यय।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उपकेन्द्रों को वार्षिक अनटायड फंड के उपयोग हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार अनटायड फंड के रूप में प्राप्त धनराशि का उपयोग उपकेंद्र के लघु सुधार, गोपनीयता हेतु पर्दे, टैप मरम्मत, विद्युत बल्ब, प्रसव के उपरांत सफाई हेतु तदर्थ भुगतान, बैंडेज एवं ब्लीचिंग पाउडर की अधिप्राप्ति में व्यय किया जाएगा। अनटायड फंड के रूप में प्राप्त धनराशि का उपयोग किसी प्रकार के वेतन, वांहन अधिप्राप्ति एवं आवर्ती व्यय में नहीं किया जाएगा। साथ ही उपरोक्त दिशा-निर्देश का बिन्दु संख्या-5.5.2 प्रावधानित करता है कि अनटायड फंड से उपकेन्द्रों को अवमुक्त राशि को ब्यय के रूप मे तभी दिखाया जाएगा जब तक कि वास्तविक ब्यय उपभोग प्रमाण पत्र/ ब्यय विवरण प्रमाणकों के साथ प्रस्तुत नहीं कर दिया जाये।

कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लक्सर के अनटायड निधि से संबन्धित अभिलेखों की नमूना लेखा जांच में पाया गया कि उपकेन्द्रों द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक अनटायड निधि मे रु. 61.75 लाख शासन से प्राप्त हुआ, जिसके सापेक्ष रु. 62.43 लाख ब्यय किया गया। नमूना जांच मे पाया गया कि ब्यय की गई धनराशि से रु 35,300 का ब्यय 09 उपकेन्द्रों द्वारा विद्युत, मोबाइल रिचार्ज एवं अन्य आवर्ती मदों पर किया गया, जो कि दिशा-निर्देशों के विपरीत था। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि कई वाऊचरों मे भुगतान एवं निरस्त के साथ आहरण-वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे तथा बिना वास्तविक वास्तविक व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए ही प्रत्येक वर्ष अनटायड निधि को अवमुक्त किया जाता रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर चिकित्सा अधीक्षक ने अपने उत्तर में बताया कि ए0एन0एम0 के दैनिक क्रियाकलापों हेतु अन्य राशि न होने के कारण उक्त धनराशि व्यय की गई। उच्चाधिकारियों से इस सम्बन्ध में धनराशि की मॉग प्राप्त कर भविष्य में अनुपालन किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि धनराशि की नियमित आवश्यकता होती है तो उस हेतु अन्य मद में धनराशि की मॉग एवं पूर्ति की जानी चाहिए थी।

अतः अनटाइड निधि में रु0 35,300 के अनियमित व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या
प्रथम लेखापरीक्षा		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः शून्य

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

— शून्य —

भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लक्सर, हरिद्वार तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i)
   (ii) } –– शून्य ––

2. सतत् अनियमितताऐंः

   (i)
   (ii) } –– शून्य ––

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डा0 अनिल कुमार	चिकित्सा अधीक्षक	01.04.2012 से 13.07.2017
2.	डा0 एच0डी0 शाक्य	चिकित्सा अधीक्षक	14.07.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लक्सर, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र